कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

टोडरमल लेन, सिविल लाईन्स, अजमेर
Web Site - www.ada.rajasthan.gov.in E-Mail - ajmerada@gmail.com
Tel. No. - 0145-2627748, 2627749

क्रमांक / अविप्रा / प–4 / योजना / 2023–24 / 930 दिनांक 09/2/2024

निमित्तः–

उप पंजीयन,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
अजमेर।

विषय :– मानसिंह होटल एण्ड रिसोर्ट लिमिटेड व्यावसायिक **वैशाली नगर योजना** का लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा संलग्न कर पंजीयन बाबत् भेजा जा रहा है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि **मानसिंह होटल एण्ड रिसोर्ट लिमिटेड** व्यावसायिक **वैशाली नगर योजना** का निष्पादित लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा संलग्न कर भिजवाया जा रहा है जिस पर नियमानुसार मुद्रांक व पंजीयन शुल्क लिया जा कर पंजीयन कराने का श्रम करावें।

संलग्नः– लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा विलेख

(महावीर सिंह),
उपायुक्त (उत्तर),
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

क्रमांक / अविप्रा / प–4 / योजना / 2023–24 / दिनांक

1. मैसर्स मानसिंह होटल एण्ड रिसोर्ट लिमिटेड जरिये निदेशक श्री अश्विनी अग्रवाल पुत्र श्री अशोक कुमार, निवासीः– डिस्को कम्पाउण्ड, जी. टी. रोड़ गाजियाबाद, को निष्पादित लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा संलग्न कर लेख है कि उक्त लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे को तत्काल पंजीयन कराकर पंजीकृत लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे की प्रमाणित फोटो कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संलग्नः– लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा विलेख

ADA, AJMER
SINGLE WINDOW
DOCUMENT DISP
09 FEB 2024

उपायुक्त (उत्तर),
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

टोडरमल लेन, सिविल लाईन्स, अजमेर
Web Site - www.ada.rajasthan.gov.in E-Mail - ajmerada@gmail.com
Tel. No. - 0145-2627748, 2627749

क्रमांक / अविप्रा / प–4 / योजना / 2023–24 / दिनांक

निमित्तः–

उप पंजीयन,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
अजमेर।

विषय :– मानसिंह होटल एण्ड रिसोर्ट लिमिटेड व्यावसायिक **वैशाली नगर योजना** का लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा संलग्न कर पंजीयन बाबत् भेजा जा रहा है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि **मानसिंह होटल एण्ड रिसोर्ट लिमिटेड** व्यावसायिक **वैशाली नगर योजना** का निष्पादित लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा संलग्न कर भिजवाया जा रहा है जिस पर नियमानुसार मुद्रांक व पंजीयन शुल्क लिया जा कर पंजीयन कराने का श्रम करावें।

संलग्नः– लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा विलेख

(महावीर सिंह),
उपायुक्त (उत्तर),
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

क्रमांक / अविप्रा / प–4 / योजना / 2023–24 / ९३१ दिनांक 09/2/2024

1. मैसर्स मानसिंह होटल एण्ड रिसोर्ट लिमिटेड जरिये निदेशक श्री अश्विनी अग्रवाल पुत्र श्री अशोक कुमार, निवासीः– डिस्को कम्पाउण्ड, जी. टी. रोड़ गाजियाबाद, को निष्पादित लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा संलग्न कर लेख है कि उक्त लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे को तत्काल पंजीयन कराकर पंजीकृत लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे की प्रमाणित फोटो कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संलग्नः– लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा विलेख

ADA, AJMER
SINGLE WINDOW
DOCUMENT DISPOSE
09 FEB 2024

उपायुक्त (उत्तर),
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

पट्टा–विलेख (लीज होल्ड से फ्री होल्ड)

व्यावसायिक

स्थानीय निकाय की योजनाओं में राजस्थान नगरीय भूमि निस्तारण नियम 1974 के अन्तर्गत पट्टा विलेख

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. ....

2. आश्विनी अग्रवाल

नोट – शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

उपायुक्त
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

पट्टा–विलेख (लीज होल्ड से फ्री होल्ड)

व्यावसायिक

स्थानीय निकाय की योजनाओं में राजस्थान नगरीय भूमि निस्तारण नियम 1974 के अन्तर्गत पट्टा विलेख

क्रमांक / 38 930-31 दिनांक 09|2|2024

पट्टा धारक का नाम — पुत्र / पुत्री —

पत्नी — पति

निवासी —

—

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स मानसिंह होटल एण्ड रिसॉर्ट लिमिटेड कार्यालय पता

जरिये निदेशक

(पदनाम) श्री / श्रीमती / सुश्री अश्विनी अग्रवाल पुत्र / पुत्री श्री अशोक कुमार

निवासी डिस्को कम्पाउण्ड, जी. टी. रोड, गाजियाबाद - 201001

भूखण्ड सं. — क्षेत्रफल 4453.31 वर्ग मी ~~व.ग.~~ / व.मी.

योजना वैशाली नगर योजना में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 9|2|24 को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. [signature]

2. अश्विनी अग्रवाल S/o अशोक कुमार

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

[signature]

उपायुक्त
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

नोट – शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

व्यावसायिक

पट्टा विलेख की शर्ते (लीज होल्ड से फ्री होल्ड) (नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974)

अविप्रा

पट्टे की शर्तें

1. पूर्व मे लीज होल्ड पट्टा उप पंजीयक कार्यालय अजमेर मे पंजीकृत करवाया गया था जो दिनांक 31/08/1978 को पुस्तक संख्या I जिल्द संख्या 790 के पृष्ठ संख्या 355 क्रम संख्या 2920 पर पंजीबद्ध है जिसे पट्टा धारक द्वारा स्थानीय निकाय मे समर्पित कर दिया है।
2. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षैत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लिखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावें।
3. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
4. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
5. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नही होगी।
6. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होंगा।
7. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नही किया जा सकेगा।
8. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
9. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरूद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया हैं। इनके सभी प्रावधान व शर्ते लागू होगी जिनकी पालना नही करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. राज. सुधार न्याय (नगरीय भूमि का निष्पादन नियम 1974) के प्रावधान एवं समय-समय पर इसमें होने वाले संशोधनों को इस पट्टा विलेख का भाग माना जायेगा।

नोट :- आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 8 लागू नही होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

62949316 /-

फ्री होल्ड राशि = 14306663 /-

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व.................. पश्चिम..................

उत्तर.................. दक्षिण..................

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. [signature] — अंगूठा निशान

2. आश्विनी अग्रवाल — अंगूठा निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर [signature] — अंगूठा निशान

नाम प्रभातरंजन सिंह

पता S/o श्री चितरंजन सिंह
189, अलकनंदा कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर

साइट प्लान

संलग्न साइट प्लान / टाईप डिजाइन अनुसार

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

[signature]

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

सचिव
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

सत्यमेव जयते

अविप्रा

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

पट्टा–विलेख (लीज होल्ड से फ्री होल्ड)

व्यावसायिक

स्थानीय निकाय की योजनाओं में राजस्थान नगरीय भूमि निस्तारण नियम 1974 के अन्तर्गत पट्टा विलेख

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. ....

2. अश्विनी अग्रवाल

नोट – शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

उपायुक्त

अजमेर विकास प्राधिकरण,

अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

पट्टा–विलेख (लीज होल्ड से फ्री होल्ड)

व्यावसायिक

स्थानीय निकाय की योजनाओं में राजस्थान नगरीय भूमि निस्तारण नियम 1974 के अन्तर्गत पट्टा विलेख

38

क्रमांक / 930-31 दिनांक 09/2/2024

पट्टा धारक का नाम .... पुत्र / पुत्री ....

पत्नी .... पति ....

निवासी ....

....

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स मानसिंह होटल एण्ड रिसोर्ट लिमिटेड .... कार्यालय पता ....

.... जरिये .... निदेशक

(पदनाम) श्री / श्रीमती / सुश्री अश्विनी अग्रवाल पुत्र / पुत्री श्री अशोक कुमार

निवासी डिस्को कम्पाउण्ड, जी. टी. रोड, गाजियाबाद - 201001

भूखण्ड सं. .... क्षेत्रफल 4253.31 वमी .... व.म. / व.मी.

योजना वैशाली नगर योजना .... में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 9/2/24 को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. [signature]

2. अश्विनी अग्रवाल S/o श्री अशोक कुमार

[signature]

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

उपायुक्त
अजमेर विकास प्राधिकरण
अजमेर

नोट – शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

व्यावसायिक

पट्टा विलेख की शर्ते (लीज होल्ड से फ्री होल्ड) (नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974)

अविप्रा

पट्टे की शर्तें

1. पूर्व मे लीज होल्ड पट्टा उप पंजीयक कार्यालय अजमेर मे पंजीकृत करवाया गया था जो दिनांक 31/08/1978 को पुस्तक संख्या I जिल्द संख्या 790 के पृष्ठ संख्या 355 क्रम संख्या 2920 पर पंजीबद्ध है जिसे पट्टा धारक द्वारा स्थानीय निकाय मे समर्पित कर दिया है।
2. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षैत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लिखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावें।
3. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप–पट्टे (सब–लीज) पर भी दे सकेगा।
4. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
5. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नही होगी।
6. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होंगा।
7. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नही किया जा सकेगा।
8. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
9. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरूद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया हैं। इनके सभी प्रावधान व शर्ते लागू होगी जिनकी पालना नही करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. राज. सुधार न्याय (नगरीय भूमि का निष्पादन नियम 1974) के प्रावधान एवं समय–समय पर इसमें होने वाले संशोधनों को इस पट्टा विलेख का भाग माना जायेगा।

नोट :– आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 8 लागू नही होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

629493161/-

फ्री होल्ड राशि 2143066631/-

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:–

पूर्व मकान पश्चिम मार्केट लेन

उत्तर दक्षिण मकान

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. [signature] अंगूठा निशान

2. अश्विनी अग्रवाल अंगूठा निशान

साक्षी :–

हस्ताक्षर [signature] अंगूठा निशान

नाम प्रभातरंजन सिंह

S/o श्री चितरंजनसिंह,

पता 18 A, अलकनंदा कॉलोनी अजमेर

साइट प्लान

संलग्न साइट प्लान / टाईप डिजाइन अनुसार

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

[signature]

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

उपायुक्त
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

SITE-PLAN

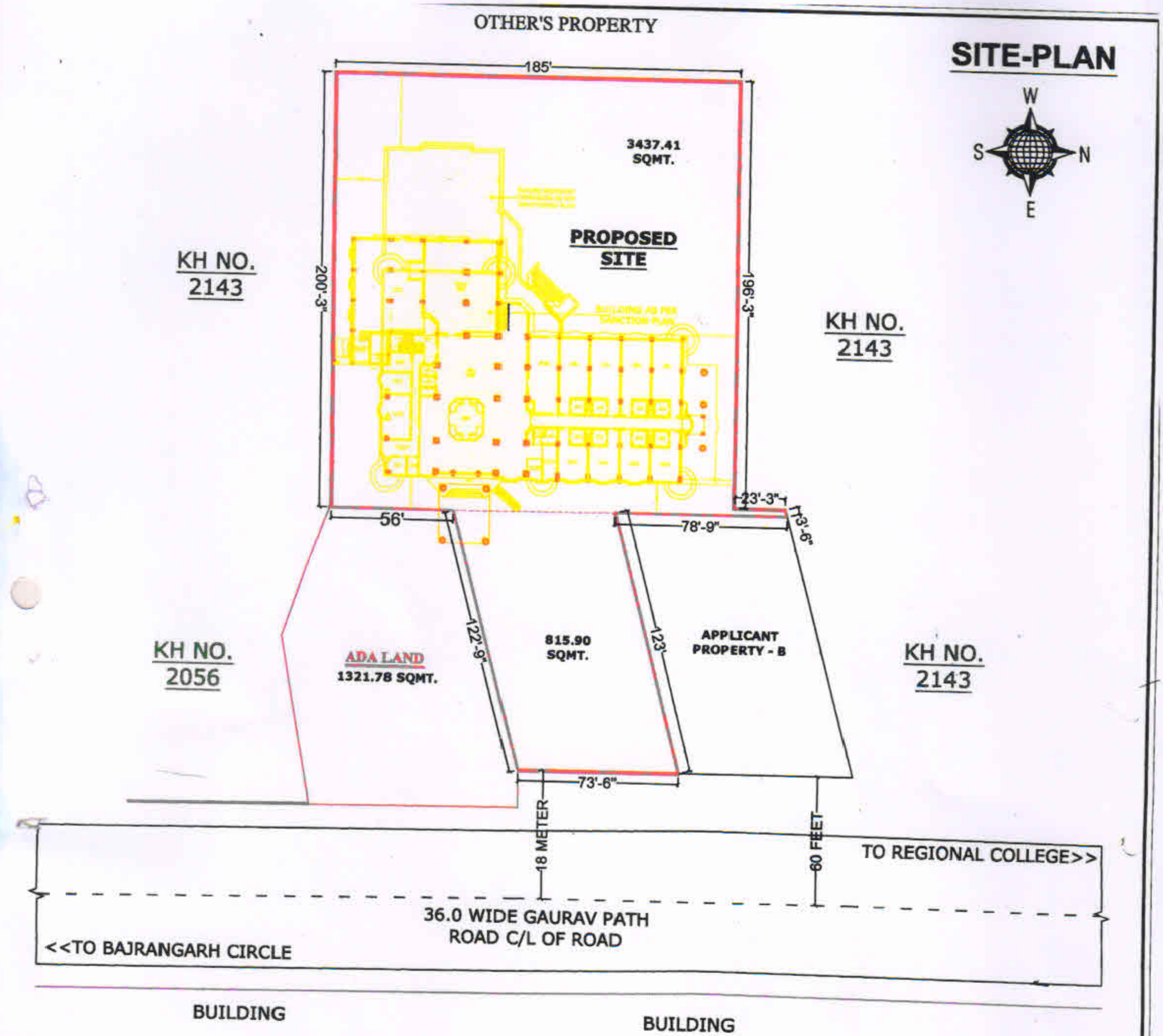

NOTE :-

PROPOSED SITE SHOWN IN RED.

TOTAL AREA OF LAND IN SQM. = 3437.41 SQMT. + 815.90 SQMT. = 4253.31 SQMT.

TOTAL AREA OF LAND IN SQ.YDS.= 4111.10 SQ.YDS. + 975.80 SQ.YDS. = 5086.91 SQ.YDS.

DHARMENDRA JAIN Regn. No. CA-84/8211 ARCHITECT ARCHITECT	31/01/2024 DLR ADD PATWARI	02/02/24 TEHSILDAR	DIR.PLANING
FOR MANSINGH HOTELS & RESORTS LTD. AUTHORISED SIGNATORY APPLICANT	31/1/2024 JEN	6/2/24 A.T.P	DY.COMMISSIONER

ITE PLAN SHOWING LAND KH.NO. 2143, AT GAURAV PATH ROAD, THOK TELIYAN AJMER.
ELONGS TO M/S MANSINGH HOTELS AND RESORTS LIMITED DIRECTORS BY
H. ASHWAINI AGGARWAL

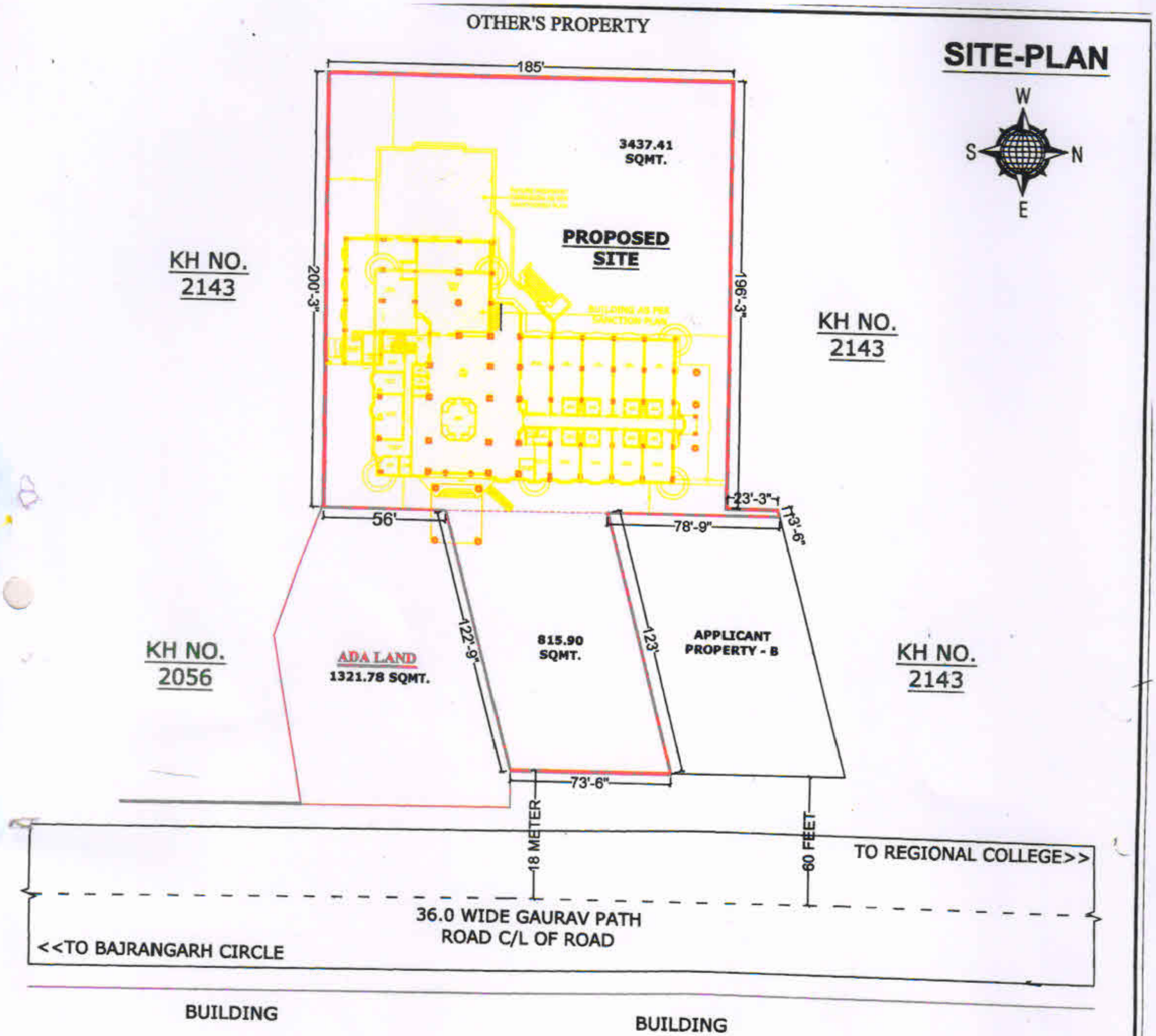

NOTE :-

PROPOSED SITE SHOWN IN RED.

TOTAL AREA OF LAND IN SQM. = 3437.41 SQMT. + 815.90 SQMT. = 4253.31 SQMT.

TOTAL AREA OF LAND IN SQ.YDS.= 4111.10 SQ.YDS. + 975.80 SQ.YDS. = 5086.91 SQ.YDS.

DHARMENDRA JAIN Regn. No. CA-84/8211 ARCHITECT (stamp, signature) ARCHITECT	31/01/2024 DIR ADD (signature) PATWARI	02/02/24 (signature) TEHSILDAR	(signature) DIR.PLANING
FOR MANSINGH HOTELS & RESORTS LTD. AUTHORISED SIGNATORY (signature) APPLICANT	31/1/2024 (signature) JEN	6/2/24 (signature) A.T.P	(signature) DY.COMMISSIONER

ITE PLAN SHOWING LAND KH.NO. 2143, AT GAURAV PATH ROAD, THOK TELIYAN AJMER.
ELONGS TO M/S MANSINGH HOTELS AND RESORTS LIMITED DIRECTORS BY
H. ASHWAINI AGGARWAL